कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल

(शाखा प्रशासन-II)

क्रमांक/क्षे.स्था.–2/3663 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2015

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक

(क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/अनुसंधान विस्तार/कार्य आयोजना)

मध्यप्रदेश

विषय : वनवृत्त स्तर पर सीधी भरती वन कर्मचारियों की वरियता सूची निर्धारण एवं प्रकाशन बावत।

सन्दर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्र./स्था./फ–2/6223 दि. 07.10.2002

---0---

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–सी–3/84/92/3/एक दिनांक 02.4.1998 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 12 में निम्नानुसार प्रावधान है–

''12–वरिष्ठता–किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या पद समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात–(एक) सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, उसकी परिवीक्षा के दौरान, उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जायेगी।

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्तियों का परिवीक्षा पर नियुक्ति के लिए चयन एक ही समय किया गया हो तो इस प्रकार चयन किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उन मामलों में जिनमें आयोग से परामर्श करने के पश्चात नियुक्तियां की जाती हो, उस योग्यता–क्रम के अनुसार होगी जिस क्रम के अनुसार आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु उनकी सिफारिश की गई हो तथा अन्य मामलों में चयन के समय नियुक्ति प्राधिकृत द्वारा अवधारित योग्यता क्रम के अनुसार होगी।''

जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के पदों (वनरक्षक, वाहन चालक, सहायक ग्रेड–3), चतुर्थ श्रेणी कार्यपालिक (सहायक महावत) तथा चतुर्थ श्रेणी अकार्यपालिक (भृत्य, अर्दली, खल्लासी, फर्रास) आदि की वरीयता सूची का वृत्त स्तर पर संधारण किया जाता है। सन्दर्भ में अंकित पत्र दिनांक 07.10.2002 द्वारा वनरक्षकों की वरीयता सूची वृत्त स्तर पर तैयार कर प्रकाशित करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। वरीयता निर्धारण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों एवं अधिसूचना दिनांक 02.4.1998 द्वारा प्रकाशित नियम–12 के प्रावधानों का समावेश करते हुए वरीयता निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं का पालन किया जाना चाहिए–

(i) सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये एकल शासकीय कर्मचारी की **वरीयता उसकी नियुक्ति की तारीख से** निर्धारित की जाना चाहिए तथा ऐसे शासकीय कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक के पूर्व कार्यरत वरीयता सूची में दर्ज कर्मचारियों के नीचे रखा जाना चाहिए।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यार्थियों को नियुक्ति के लिये एक ही समय में एक ही प्रक्रिया से चयन किया गया हो तो इस प्रकार नियुक्त किये गये शासकीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके **समेकित योग्यता क्रम** के अनुसार होना चाहिए।

(iii) यदि नियुक्तिकर्ता द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति बिना किसी **अवधारित योग्यता क्रम** के (जैसे अनुकम्पा नियुक्ति, न्यायालयीन आदेश से नियुक्ति, नियमितीकरण प्रक्रिया आधारित नियुक्ति) एक ही दिन की जाती है तो अधिक आयु के शासकीय कर्मचारी को वरीयता में ऊपर रखते हुए वरीयता क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि नियमितीकरण प्रक्रिया में वरिष्ठता क्रम निर्धारित है तो उसी मापदण्ड के आधार पर वरियता क्रम दिया जाना चाहिए।

(iv) वन विभाग में वरीयता सूची संधारण वृत्त स्तर पर किया जाता है। अतः उपरोक्त सभी कंडिकाओं में दर्शाए गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी जिलों/वनमण्डलों में नियुक्त शासकीय कर्मचारियों का वरीयता निर्धारण वृत्तस्तरीय समेकित सूची के आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात विभिन्न जिलों में अवधारित योग्यता क्रम समेकित किया जाना चाहिए तथा वृत्त स्तर पर पारस्परिक वरीयता निर्धारण किया जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए शासकीय कर्मचारियों की वरीयता सूची क्रमशः वर्षभर संधारित की जाना चाहिए। दिनांक 01.4.2016 एवं पश्चातवर्ती वर्षो में 01 अप्रैल की स्थिति में वरीयता सूची विधिवत जारी की जाना चाहिए तथा सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिये वन विभाग की बेवसाइट पर अपलोड की जाना चाहिए।

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र. भोपाल

पृष्ठां.कमांक/क्षे.स्था.–2/3664 भोपाल, दिनांक 15 **जुलाई 2015**

प्रतिलिपि–

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. समस्त वन मण्डल अधिकारी, वन विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सतीश त्यागी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
म.प्र. भोपाल
15.07.2015

D:\SN Shingh\Vyapam 2014-15.doc